



Neutral Citation No. 2026:AHC:5956

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 10 / 2026

साजिद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

विशाल अग्रवाल

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता कौशल किशोर मणि

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता और गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मणि की दलीलें सुनी गईं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के तहत चल रही कार्यवाही में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिनांक 27.1.2025 की पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 9.5.2025 के आदेश द्वारा अपील में दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को दिनांक 16.9.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

"I. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके तहत संबंधित अभिलेख तलब किए जाएं और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.09.2025 को पारित विवादित आदेश मुकदमा संख्या 3751/2025 कम्प्यूटरिकृत मुकदमा संख्या आर20250972003751 (साजिद बनाम कुसुम) को जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत पारित किया गया है तथा उसके परिणामस्वरूप पारित सभी अनुवर्ती आदेशों को रद्द किया जाए।

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को यह आदेश दिया जाए कि वह वादसंपत्ति पर याचिकाकर्ता गण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और साथ ही यह निर्देश भी दिया जाए कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकार वादसंपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम विवादित प्लॉट के अभिलेख में अवैध और मनमाने तरीके से दर्ज करने का आदेश दिया गया था इसी के चलते याचिकाकर्ता ने स्थगन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदन के साथ अपील दायर की है। उन्होंने बताया कि अपील में शुरू में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था लेकिन बाद में उस अंतरिम आदेश को अवैध और मनमाने तरीके से रद्द कर दिया गया। उन्होंने यह दलील दी कि अपील में अंतरिम आदेश को रद्द करने वाले आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और लंबित अपील का निस्तारण कानून के अनुसार करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए साथ ही अपील के लंबित रहने तक तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा 17.1.2025 की विक्रय विलेख को रद्द करवाने के लिए दायर किया गया मुकदमा याचिकाकर्ता की ओर से सिविल न्यायालय में लंबित है।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार ने 27.1.2025 की विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता द्वारा स्थगन आवेदन के साथ दायर अपील में शुरू में एक अंतरिम आदेश दिया गया था लेकिन बाद में उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है।

6. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 27.1.2025 की विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर दीवानी मुकदमा दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. रिट याचिका खारिज की जाती है और अपीलीय न्यायालय/उप-विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे लंबित अपील (मुकदमा संख्या 4397/2025 साजिद बनाम कुसुम और अन्य) का निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से करें अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर और ऐसा करते समय पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

9 जनवरी 2026

पीएस